

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

****** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा :-

****** आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 299.982 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख अठानवे हजार दो सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारु मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या-1978, दिनांक-05.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 299.997 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख अठानवे हजार दो सौ) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारु मवेशियों के पशु बीमा कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

- 2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारु मवेशियों की बीमा कर गंभीर बीमारी यथा Lumpy, HSBQ एवं अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, खेती पर निर्भरता कम करना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है।
- 3) इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :-
 - (i) राज्य के पशुपालकों के आर्थिक प्रगति में सहायक होगा।
 - (ii) पूँजी निर्माण में सहायता।
 - (iii) व्यवसाय के प्रबंधन में सहायक होगा।
 - (iv) दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा।

- 4) इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा दुधारु मवेशी की बीमा कराने हेतु अपना आवेदन गव्य विकास निदेशालय के वेबसाइट पोर्टल पर ऑन-लाईन भरे जायेंगे।
- 5) इस योजना में प्रति दुधारु मवेशी का अधिकतम मूल्य ₹ 50,000/- निर्धारित की गयी है। 6% की दर से बीमा की कुल राशि ₹ 3,000/- होगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 85% राशि ₹ 2,550/- अनुदान के रूप में देय होगा तथा शेष 15% राशि ₹ 450/- बीमा कम्पनी को पशुपालकों द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 6) निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी के साथ किये गये एकरारनामा के अनुसार पशु बीमा प्रीमियम की दर में अंतर होने की स्थिति में पशुपालकों द्वारा देय एवं राज्य सरकार द्वारा देय राशि की गणना देय प्रीमियम के अनुपात में की जायेगी।
- 7) इस योजना के तहत दुधारु मवेशियों का बीमा हेतु BLDA द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तहत निविदा के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी एवं Intermediary द्वारा दुधारु मवेशियों का बीमा एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। योजना का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।
- 8) इस योजना के तहत वैसे दुधारु मवेशियों का बीमा कराया जायेगा, जो स्वस्थ हो तथा पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। योजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों के दुधारु पशुओं का बीमा में वरीयता दिया जायेगा।
- 9) इस योजना के तहत अनुदान का लाभ प्रति लाभुक प्रति हाउसहोल्ड दस (10) पशुओं तक सीमित रखा जायेगा।
- 10) बीमित पशुओं को विधिवत रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा निर्गत बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या युक्त ईयर टैग दिया जायेगा। किसी अन्य योजना के तहत पशुओं की टैगिंग होने की स्थिति में पुनः टैगिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वर्तमान टैग के विशिष्ट पहचान संख्या (UID) का ही उपयोग बीमा हेतु किया जायेगा। पहचान चिन्ह के सुरक्षित रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित लाभुक की होगी। बीमा के समय दो फोटोग्राफ देना होगा। एक फोटोग्राफ पशु का पशु स्वामी के साथ तथा दूसरा फोटोग्राफ स्पष्ट Ear Tag युक्त पशु का होना चाहिये।
- 11) बीमा अवधि में लाभुक द्वारा बीमित पशुओं के विक्रय की स्थिति में शेष अवधि हेतु क्रेता को बीमा का हस्तांतरण हो जायेगा। इस हेतु आवश्यक

औपचारिकताओं, शुल्क इत्यादि का निर्धारण बीमा कम्पनी के साथ अनुबंध के समय कर लिया जायेगा।

- 12) बीमा के दावे का निष्पादन सुगम होना चाहिए ताकि लाभुक को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। बीमा कम्पनी के साथ अनुबंध के समय समस्त प्रक्रियाओं/आवश्यक अभिलेखों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा। बीमा के दावे का निष्पादन मात्र चार वांछित अभिलेख यथा— (1) बीमा कम्पनी को सूचना, (2) बीमा पॉलिसी दस्तावेज, (3) दावा फॉर्म एवं (4) पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया जाना होगा। बीमा कराने अथवा बीमा के दावे के निष्पादन हेतु सभी वांछित कागजात/फॉर्म संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा स्थानीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा पॉलिसी दस्तावेज की पशुपालक प्रति खो जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अविलम्ब द्वितीयक पॉलिसी दस्तावेज निर्गत किया जायेगा।
- 13) वांछित दस्तावेजों के समर्पित किये जाने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बीमा के दावा राशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दण्ड स्वरूप संबंधित लाभुक को दिया जायेगा। दावा खारिज किये जाने की स्थिति में संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए दावेदार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 14) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक (गव्य) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक (गव्य) सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- 15) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की एकमुश्त निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर BLDA, पटना के पी०एल० खाता संख्या-PBBPLA028 किया जायेगा। संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा क्रियान्वयन पश्चात विपत्र को समेकित करते हुए गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जाँचोपरान्त विपत्र पारित कर BLDA, पटना को भेजा जायेगा। BLDA, पटना द्वारा पारित विपत्र के आलोक में बीमा कम्पनी के बैंक खाता में राशि स्थानान्तरित की जायेगी।
- 16) इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 11764 दुधारू मवेशियों का बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पर कुल ₹ 299.982 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख अठानवे हजार दो सौ) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय अनुमानित है (व्यय विवरणी संलग्न)।

- 17) इस योजना अंतर्गत पशु बीमा की प्रीमियम की दर से एकरारनामा में निर्धारित पशु बीमा की प्रीमियम की दर में अंतर होने की स्थिति में लक्ष्य में अनुपातिक वृद्धि हेतु निदेशक (गव्य) सक्षम प्राधिकार होंगे।
- 18) निदेशक, गव्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि NLM के तहत पशुपालन निदेशालय द्वारा जो पशु बीमा की जा रही है, उसका दोहराव नहीं हो।
- 19) इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन सात निश्चय-2 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0116 -आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनाएँ-सात निश्चय-2, विषय शीर्ष-0116.31.06 -सहायक अनुदान-गैर वेतन मद, विपत्र कोड 02--2404001020116 अंतर्गत प्रस्तावित योजना हेतु प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंधित राशि ₹ 300.00 लाख से व्यय किया जायेगा।
- 20) चूँकि यह योजना सात निश्चय-2 के तहत एक चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)03/2023 के पृष्ठ-64/टि० दिनांक-15.09.2026.
- 21) निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
- 22) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)03/2023 के पृष्ठ-65/टि० तथा डायरी सं०-649, दिनांक-18.09.2026.
- 23) वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-6 एस०एस०(6)03/2023-5190/पटना-15, दिनांक-22/9/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

सात निश्चय-2 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में दुधारु मवेशियों के पशु बीमा योजना के लिए व्यय विवरणी :-

विपत्र कोड	योजना विवरणी	भौतिक लक्ष्य (दुधारु मवेशियों की संख्या)	कुल अनुमानित लागत व्यय (राशि रु० में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
02-2404001020116, विषय शीर्ष-0116.31.06 -सहायक अनुदान- गैर वेतन मद	प्रति दुधारु मवेशी के लिए बीमा हेतु विभागीय अनुदान ₹ 2,550/-	11764	2,99,98,200/-	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
योग :-			2,99,98,200/-		

(रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख अठानवे हजार दो सौ) मात्र।

5190
22/9/26

सरकार के संयुक्त सचिव